F–07–08
F–07–11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
Bengaluru – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1368 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1368

विषय / Sub: फ्यूल कन्टेंट गेजिंग मिडल मेन टैंक (एमएमटी) प्रोब पार्ट सं.: 236300000 /
Fuel Content Gauging Middle Main Tank (MMT) Probe
Part No.: 236300000

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड़, एरोस्पेस सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर (एएसईआरडीसी), लखनऊ – 226 016 द्वारा अभिकल्पित औक विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड़, असेसरीस प्रभाग, लखनऊ – 226 016 द्वारा उत्पादित **फ्यूल कन्टेंट गेजिंग मिडल मेन टैंक (एमएमटी) प्रोब**, पार्ट सं.: 236300000 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1368, दिनांक 25 सितंबर 2008, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1368 जारी किया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1368-1आर, दिनांक 20 फरवरी 2014, द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक थी।

*This is to state that the **"Fuel Content Gauging Middle Main Tank (MMT) Probe"** bearing the Part No.: 236300000 designed and developed by **M/s Hindustan Aeronautics Limited,** Aerospace Systems & Equipment Research and Design Centre (ASERDC), Lucknow – 226 016 and manufactured by **M/s Hindustan Aeronautics Limited,** Accessories Division, Lucknow – 226 016 was issued with Type Approval No.: 1368 vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA–1368, dated: 25th September 2008. Subsequently it was renewed vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA –1368 –1R, dated: 20th February 2014, with validity up to 31st December 2018.*

आरसीएमए (लखनऊ) के मांग के आधार पर, संदर्भ सं: आरसीएमए (लखनऊ)/341/3/टेक/4, दिनांक 05 नवंबर 2018 द्वारा उक्त वर्ग अनुमोदन सं.1368 में निम्नलिखित संशोधन लागू होता है:

The following Amendment is effected based on the request from RCMA (Lko) vide Ref. No.: RCMA (LKO) / 341/3/Tech /4, dated: 05th November 2018 in the subject Type Approval Number: 1368.

प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र सं. सेमिलैक/5070/टीए-1368, दिनांक 25 सितंबर 2008 के परिशिष्ट 'ए' के पृष्ठ सं.1 में, तालिका 1 की अंतिम पंक्ति में (अस्थायी मंजूरी सं. के बाद) जोड़िए।

In Page 1 Appendix 'A' of initial Type Approval Certificate No.: CEMILAC/5070/TA–1368, dated: 25th September 2008, ***add*** *the following as last row of the Table No.: 1 (after Provisional Clearance No.):*

Approved Component Build Standard (ACBS) Reference	*ACBS No.: 236300000 – 264* *Issue –* ***'2J',*** *dated: 07th August 2018*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण **01 फ़रवरी 2019** से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा **31 जनवरी 2024** तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन (03) महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए (लखनऊ)**, डीआरडीओ. सेमिलैक, द्वारा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड़ पोस्ट, लखनऊ – 226 016, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is here by renewed w.e.f ***01st February 2019*** *based on the satisfactory performance feedback and is valid up to* ***31st January 2024*** *unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request* ***RCMA (Lucknow)****, DRDO, CEMILAC, C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited Post, Lucknow – 226 016,* ***three (03) months*** *before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3 संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1368, दिनांक 25 सितंबर 2008 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद (04) चार में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para (04) four of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA–1368, dated: 25th September 2008 is amended as stated herewith.

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक) बेंगलूरु– 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification ***(CEMILAC),*** *Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]".*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदनप्रमाणपत्रमें अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial Type Approval Certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./ No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070/टी.ए/TA–1368/2R
दिनांक / Date 04 February 2019
फैक्ससं. / Fax No.: 080 – 2523 0856

पी . जयपाल / **P. JAYAPAL**
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / **Outstanding Scientist**
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)